MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill to provide for the authorisation of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March, 1972, in excess of the amounts granted for those services and for that year, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : There are no amendments. The question is :

"That clauses 2 and 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI K. R. GANESH : I move :
"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

16.50 hrs.

*APPROPRIATION (NO. 5) BILL, 1973.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH) : I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and the out of the Consolidated Fund of India services of the financial year 1973-74.

MR. CHAIRMAN: The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1973-74."

The motion was adopted.

SHRI K. R. GANESH : Sir, I introduce† the Bill.

I beg to move‡ :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1973-74, be taken into consideration."

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1973-74, be taken into consideration."

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, मैं मांग नं. 7, 44 और 46 से सम्बन्धित चार पांच छोटे छोटे सवाल उठाना चाहता हूं। पहली बात तो भारतीय खाद्य निगम से सम्बन्धित है। कई जगहों से उसके कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया है और ऐसे कर्मचारी हर सूबे में फैले हुए हैं। उनमें से कुछ लोग पटना में भूख-हड़ताल पर हैं और एक दर्जन के करीब जेलखाने में बंद कर दिये गये हैं। मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि जो लोग गिरफ्तार किये गये हैं उन्हें छोड़ा जाये और जिनकी छटनी की गई है उन्हें काम पर बहाल किया जाये।

दूसरे जो मांग नं. 7 है वह खाद्य से सम्बन्धित है। ऐसे तो पूरे देश की खाद्य स्थिति संकटापन्न है लेकिन बिहार की स्थिति बहुत दयनीय है। सभापति जी, आपके पास भी बिहार के खाद्य और पूर्ति मंत्री का एक लम्बा पत्र आया होगा जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 19-12-73.
†Introduced with the recommendation of the President.
‡Moved with recommendation of the President.

[श्री रामावतार शास्त्री]

वहां की स्थिति कितनी संकटापन्न है। लोगों को 5 ग्राम राशन भी, देहात की बात छोड़िये, शहरों में नहीं मिल रहा है। तो मैं चाहूंगा जैसी कि वहां के मन्त्री महोदय ने मांग की है, बिहार के लिए ज्यादा से ज्यादा गल्ले की सप्लाई की जाये।

इसके बाद मांग नं. 44 से सम्बन्धित सवाल हैं। आर्थर बटलर कम्पनी, मुजफ्फरपुर जिसकी यहां बार बार चर्चा हो चुकी है, वह कम्पनी ली जा चुकी है, वह सरकार के कब्जे में है लेकिन अभी तक चालू नहीं की गई है जिसके कारण सैकड़ों कर्मचारी बेकार हैं। इसलिए उसे जल्दी चालू किया जाये।

सभापति महोदय : यह सब किस तरह से रैलिवेन्ट है ?

श्री रामावतार शास्त्री : यह भारी उद्योग से सम्बन्धित है।

सभापति महोदय : कहां की ईंट कहां का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा।

श्री रामावतार शास्त्री : जब जब यहां पर सवाल उठाया गया है तो भारी उद्योग मंत्री ने जवाब दिया है।

उसी तरह से जो ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कम्पनी, मोकामा है। उसके मजदूर भी एक साल से ज्यादा से बैठे हुए हैं। उसको भी अभी तक नहीं लिया गया है इसलिए मैं चाहूंगा इन दोनों कम्पनियों को सरकार जल्दी से ले ले।

मांग नं. 46 गृह विभाग से सम्बन्धित है। सेन्सस कर्मचारी जो थे उनमें से 8 हजार कर्मचारी, जब सेन्सस समाप्त हो गई, तो निकाल दिये गये। फिर फरवरी, 1974 के बाद एक हजार और छांट दिये जायेंगे। एक हजार से ऊपर निकाले जाने वाले हैं। तो इनको छंटनी से बचाना चाहिए और जो लोग डेपुटेशन पर इस डिपार्टमेन्ट में आये थे उन्हें उनके अपने डिपार्टमेन्ट में भेज देना चाहिए। उनकी छटनी नहीं होनी चाहिए।

जहां तक स्वतंत्रता सैनानियों का सवाल है, सभापति जी आप जानते हैं वह भी गृह मंत्रालय से सम्बन्धित है। अभी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी बचे हुए हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो मोपला आन्दोलन से संबंधित थे, कुछ गांधी इर्विन-पैक्ट के समय जेल से छूट गये। **(व्यवधान)** तो मैं यह कह रहा था कि स्वतन्त्रता सेनानी जो मोपला आन्दोलन से सम्बन्धित रहे हैं और जो गांधी-इर्विन-पैक्ट के दौरान 6 महीने की जेल काटने से पहले छूट चुके थे उन लोगों को भी स्वतन्त्रता सेनानी की पेंशन दी जानी चाहिए। इस पेंशन में अनावश्यक विलम्ब होता है। पेंशन स्वीकृत भी हो गई लेकिन 3-4 महीने तक कोई खबर नहीं होती है और उस बीच में बूढ़े बूढ़े लोग मर जाते हैं। इसलिए इसमें शीघ्रता होनी चाहिए और समय पर उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए।

इसके साथ साथ जो बूढ़े स्वतन्त्रा सेनानी हैं, जो असमर्थ हैं, जिनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है उनके लिए कोई विश्रामगृह या घर दिल्ली में सरकार बनाना चाहती है। लेकिन उसमें अभी तक टाल मटोल कर रही है। इसलिए कम से कम दिल्ली में कोई ऐसा घर बनाइये जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों के रहने की व्यवस्था हो सके।

आखिरी बात यह है जैसा कि श्यामबाबू ने पटना पुल के सम्बन्ध में कहा है। मैं भी चाहूंगा कि सरकार उसको अपने हाथ में लेकर उस सड़क को नैपाल की सीमा तक ले जाये जिससे बिहार का बड़ा उपकार होगा तथा साथ साथ इस देश का भी बड़ा उपकार होगा।

श्री मधु लिमये (बांका) : सभापति महोदय, मेरे प्रश्नों के जवाब तो राज्य मंत्री नहीं देंगे, वे केवल पोस्ट आफिस का काम करने वाले हैं। लेकिन पोस्ट आफिस से मुझे पत्र भी मिले, ऐसा नहीं कि यह डालें, मंत्री जी के पास जाये और मुझे लौटती डाक से जवाब न मिले—ऐसा नहीं होना चाहिये।

हमारे सामने रक्षा मंत्रालय के बारे में मांगें थी। इस वक्त रक्षा मंत्रालय के सामने दो बड़े सवाल हैं कि मिग-23 जोकि रशियन लड़ाकू हवाई जहाज हैं और मिराज का नया संस्करण जो फ्रांसीसी हैं—इनमें से कौन सा डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट हमारे रक्षा मंत्रालय के लिए लाया जा रहा है, इसके बारे में सदन को विश्वास में लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर 'विक्रान्त' है उसके ऊपर जो हवाई जहाज चलते हैं उनको अब बदलने की आवश्यकता महसूस हो रही है। इसके बारे में ब्रिटेन के साथ कोई बातचीत हो रही थी और बीच में यह खबर आई कि ब्रिटेन में जो एयरक्राफ्ट तैयार किये जा रहे हैं, कैरियर के लिए, वह शायद रायल नेवी नहीं लेगी और वह पूरी योजना खटाई में पड़ गई। यदि यह बात सही है तो कौन सी वैकल्पिक योजना इसके बारे में बनाई जा रही है, "विक्रान्त" एयरक्राफ्ट कैरियर के हवाई जहाजों के लिए? यह तो रक्षा मंत्रालय के बारे में है।

17 hrs.

मीजोरम के बारे में केवल इतना जानना चाहता हूं कि उसको नागालैण्ड, मनीपुर और त्रिपुरा की तरह से राज्य का दर्जा आप कब देने जा रहे हैं?

एस. टी. सी. के बारे में भी मेरा एक प्रश्न है जिसकी सफाई या तो मन्त्री महोदय दें या जो पब्लिक अंडरटेकिंग्ज कमेटी है वह इस मामले की जांच करे। जबसे विदेश व्यापार के राष्ट्रीयकरण का मामला शुरू हुआ, कैनेलाइजेशन का, हमारी आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है कि एस. टी. सी. विदेश व्यापार में बड़ी तरक्की कर रहा है जबकि निजी क्षेत्र के व्यापारी जो विदेशों में माल भेजते थे उन्हीं व्यापारियों से माल भिजवाया जा रहा है और महज दो परसेन्ट का कमीशन एस. टी. सी. ले रहा है।

क्या राष्ट्रीयकरण का यह मतलब है? स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन नये नये बाजारों की खोज करने और निर्यात व्यापार में वृद्धि करवाने का काम करने की दिशा में क्या कर रहा है, इस का अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं आया है। तो मैं चाहूंगा कि पब्लिक अन्डरटेकिंग्स कमेटी या और जो भी कमेटियां पार्लियामेंट की हैं वह सरकार को इस के बारे में निर्देश दें कि केवल वर्तमान निजी व्यापारियों से एक, दो प्रतिशत कमीशन ले कर एस. टी. सी. के बारे वैदेशिक व्यापार के बारे में जो जिम्मेदारी है वह पूरी नहीं हो सकती। उन को नये मार्केट की भी खोज करनी चाहिये और अपना वैदेशिक व्यापार बढ़ाना चाहिये।

SHRI K. R. GANESH: The hon. Member mentioned about the retrenchment of the census employees. I can only say that this matter is being looked into.

He has also raised various other points on which I do not have any specific information now. I will communicate them to the concerned Ministries.

Shri Madhu Limaye raised some defence matters. These are sensitive matters. . .

श्री मधु लिमये: सभापति महोदय, इस पद्धति को आप बदलिये। सप्लीमेंट्री डिमान्ड्स कई मंत्रालयों की होती हैं। माननीय गणेश जी की अड़चन को मैं समझ सकता हूं। जब तक आल नोइंग कोई प्रीत परमेश्वर यहां नहीं आयेंगे तब तक सभी मंत्रालयों के बारे में जवाब नहीं दे सकते। तो कोई प्रणाली आप कायम कीजिये कि सभी मंत्री रहें। नहीं तो उप-मंत्री रहें। नहीं तो अगर पोस्ट आफिस का ही काम करना है तो वह तो सभापति जी ही क्यों न करें।

सभापति महोदय: मैंने पहले भी कहा है जब माननीय श्यामनन्दन मिश्र ने सवाल उठाया था कि जिस मंत्रालय से संबंधित सवाल आये फाइनेंशियल या दूसरे उन के स्टेट मिनिस्टर या मिनिस्टर को यहां रहना चाहिये जिस से जो पॉइंट्स यहां रेज होते हैं उन का जवाब वह दे सकें या उप-मंत्री दे सकें।

श्री मधु लिमये: सभापति जी, मैंने जो अभी सवाल उठाये उन का जवाब कब मिलेगा?

एक माननीय सदस्य: दो दिन के बाद जवाब मिलेगा।

SHRI K. R. GANESH : Both these points concerning the Defence Ministry are under consideration. But these are very sensitive matters and I am sure the hon. Member himself would not like me to go into the details.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the consolidated Fund of India for the services of the financial year 1973-74, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : We will now take up the clause by clause consideration. There are no amendments. So, I will put all the clauses together. The question is :

"That clauses 2 and 3, the Schedule, clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI K. R. GANESH : I beg to move : "That the Bill be passed".

MR. CHAIRMAN : The question is : "That the Bill be passed".

The motion was adopted.

17.05 hrs.

SUPPLEMENTARY DEMANDS‡ FOR GRANTS (ORISSA), 1973-74

MR. CHAIRMAN : We now take up the Supplementary Demands for Grants in respect of the Budget for the State of Orissa for 1973-74.

DEMAND NO. 4-A—EXPENDITURE RELATING TO THE RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,21,51,000/- on Revenue Account be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Orissa to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of 'Expenditure relating to the Rural Development Department'."

DEMAND NO. 5—COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECTS, ETC.

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 65,92,000/- on Revenue Account be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Orissa to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of 'Community Development Projects, etc'."

DEMAND NO. 9—MINISTERS, CIVIL SECRETARIAT AND OTHER EXPENDITURE RELATING TO FINANCE DEPARTMENT.

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 77,000/- on Revenue Account be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Orissa to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of 'Ministers, Civil Secretariat and Other Expenditure relating to Finance Department'."

---

‡Moved with the recommendation of the President.